

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVISED LIST OF BUSINESS

Thursday, 03 December, 2015/ Margshirsha 12, 1937 (Saka)
2.00 P.M

1. Special Mention(Rule-280) :

The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair:-

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar) | 6. Sh. Jagdish Pradhan |
| 2. Sh. Jitender Singh Tomar | 7. Sh. Anil Kumar Bajpai |
| 3. Sh. Som Dutt | 8. Sh. Raju Dhingan |
| 4. Sh. Hazari Lal Chauhan | 9. Sh. Girish Soni |
| 5. Sh. Vijender Gupta | 10. Ms. Bhavna Gaur |

2. Adoption of Report:

Shri Naryan Dutt Sharma

Ms. Bhavna Gaur to move the following Motion:

“That this House agrees with the **First Report of Ethics Committee (VI Legislative Assembly, NCT of Delhi)** presented in the House on 2nd December, 2015.”

3. Paper to be laid on the Table :-

Sh. Satyendar Jain, Minister of Power to lay the copy of the Annual Accounts along with Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Delhi Electricity Regulatory Commission for the year ended 31st March, 2015.

4. Motion under Rule-107 :-

1. **Ms. Bhavna Gaur** to move the following Motion under Rule-107 :

“In pursuance of the recommendations contained in the First Report of the Ethics Committee of Sixth Legislative Assembly, this House decides that Rs.18560/- be recovered from the pay of Shri Om Parkash Sharma towards the cost incurred in replacing the mike damaged by him. This House also warns Shri Om Parkash Sharma not to resort to such misconduct in the House again.”

2. **Sh. Saurabh Bhardwaj** to move the following Motion under Rule-107:
“That this House discuss the Report of Fourth Delhi Finance Commission and the Government’s Explanatory Memorandum on its recommendation”.

5. **Sh. Gopal Rai, Minister of Labour** to move that the following Bills introduced in the House on 26 November, 2015 be passed :

1. **“Minimum Wages (Delhi) Amendment Bill, 2015.”**
2. **“The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Bill, 2015”**

6. Introduction, Consideration & Passing of Bills:

Shri Manish Sisodia, Dy. Chief Minister to introduce the following Bills with the leave of the House.

1. “THE MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES, ALLOWANCES, PENSION ETC.)(AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 18 OF 2015)”
2. “THE MINISTERS OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES)(AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 19 OF 2015)”
3. “THE SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES)(AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 20 OF 2015)”

4. "THE LEADER OF OPPOSITION IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES)(AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 21 OF 2015)."
5. "THE SALARY AND ALLOWANCES OF THE CHIEF WHIP IN LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) BILL, 2015 (BILL NO. 22 OF 2015)."

Also to move that the Bill be considered & passed.

7. Consideration of Bill :

Sh. Manish Sisodia, Dy. Chief Minister to move that "**THE DELHI JANLOKPAL BILL, 2015**" (Bill No.16 of 2015) be taken into consideration.

Delhi
03 December, 2015

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
संशोधित कार्य सूची

वीरवार, 03 दिसम्बर, 2015/ मार्गशीर्ष 12, 1937 (शक)

अपराहन 2.00 बजे

1. **विशेष उल्लेख (नियम-280) :** निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे :-
 1. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
 2. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
 3. श्री सोमदत्त
 4. श्री हजारी लाल चौहान
 5. श्री विजेन्द्र गुप्ता
 6. श्री जगदीश प्रधान
 7. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
 8. श्री राजू धिंगान
 9. श्री गिरीश सोनी
 10. सुश्री भावना गौड़
2. **प्रतिवेदन पर सहमति :**

श्री नारायण दत्त शर्मा
सुश्री भावना गौड़ निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :
“कि यह सदन दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 को प्रस्तुत **आचार समिति** (छठी विधान सभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) के **प्रथम प्रतिवेदन** से सहमत है।”
3. **सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात :-**

श्री सत्येन्द्र जैन, उर्जा मंत्री, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।
4. **नियम-107 के अंतर्गत प्रस्ताव :**
 1. **सुश्री भावना गौड़** नियम-107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी :-

कि छठी दिल्ली विधान सभा की आचार समिति के प्रथम प्रतिवेदन में वर्णित सिफारिशों की अनुपालना में, यह सदन निर्णय करता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा के वेतन से 18560/- रुपये उनके द्वारा तोड़े गये माइक को बदलने में आई लागत के लिए वसूले जायें। यह सदन श्री ओम प्रकाश शर्मा को चेतावनी भी देता है कि सदन में पुनः इस प्रकार का कदाचार न करें।
 2. **श्री सौरभ भारद्वाज** नियम-107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

कि यह सदन चौथे दिल्ली वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा इसकी सिफारिशों पर सरकार के व्याख्यात्मक जापन पर चर्चा करता है।
5. **श्री गोपाल राय, श्रम मंत्री** प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 26 नवम्बर 2015 को सदन में पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों को पारित किया जाये:
 1. “न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015”
 2. “कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015”
6. **विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार व पारित करना :**

श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री सदन की अनुमति से निम्नलिखित विधेयक सदन में पुरःस्थापित करेंगे:-

 1. “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 18)”
 2. “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रियों के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 के (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 19)”
 3. “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 20)”
 4. “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के विपक्ष के नेता के (वेतन और भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 21)”
 5. “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा के मुख्य सचिव के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 22)”

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि उक्त विधेयक पर विचार किया जाए तथा इसे पारित किया जाए।

7. विधेयक पर विचार :

श्री मनीष सिसोदिया, उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 30 नवम्बर 2015 को सदन में पुरःस्थापित "दिल्ली जनलोकपाल विधेयक,2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16)" पर विचार किया जाए ।

दिल्ली
03 दिसम्बर, 2015

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव